

कृषि निदेशालय, बिहार


पत्र संख्या-03/लेखा (कम्पोस्ट) 06/2013 33

पटना, दिनांक 28/05/2015

आदेश

श्री अशोक प्रसाद, उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस, बिहार, पटना के स्थापना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति बिहार कोषागार नियमावली 2011 के नियम 84 के अन्तर्गत सौपी जाती है।


2. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कृषि विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।


कृषि निदेशक, बिहार।

ज्ञापांक 33

पटना, दिनांक 28/05/2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी/जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार।

ज्ञापांक 33

पटना, दिनांक 28/05/2015

प्रतिलिपि : निदेशक, उद्यान/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, बामेती/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं श्री अशोक प्रसाद, उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार।

ज्ञापांक 33

पटना, दिनांक 28/05/2015

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार/माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित एवं आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार।